मानननीय न्यायालय मध्यप्रदेश राजस्व मण्डल केन्द्र ग्वालियर (म.प्र.)

प्रकरण क्रमांक – /2019 निगरानी निगरानी-0387/2019/रतलाम/

महंत अशोक पुरी गुरु महंत अमरपुरी आयु 66 वर्ष, व्यवसाय सन्यासी निवासी माईजी का मठ छत्रीपुल रतलाम म.प्र. **-- आवेदक**

विरुद्ध

शासन द्वारा कस्बा पटवारी रतलाम म.प्र.

-- अनावेदक

प्रार्थी ... द्वारा प्रस्तुत दिनांक 23/2/19 अधीक्षक आयुक्त कार्यालय उज्जैन

621 23/2/19

पुनरीक्षण प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं

माननीय महोदय,

आवेदक अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त महोदय उज्जैन संभाग उज्जैन के प्र.क्र. 945/अपील/2017–18 में पारित आदेश दिनांक 05–10–2018 से असंतुष्ट एवं दुखित होकर नकल में लगा समय माफ करते हुए निगरानी अंदर अवधि प्रस्तुत करता है :–

1. यह कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश जैर निगरानी विधि विधान के विपरीत होने एवं रेकार्ड के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। क्योंकि अधीनस्थ दोनों न्यायालय द्वारा प्रकरण में आई साक्ष्य/दस्तावेज का अवलोकन भी नहीं किया क्योंकि अपीलार्थी का जिस भूमि पर अतिक्रमण बता रहे है वहां पर गोशाला है इस बात की पुष्टि अधीनस्थ तहसीलदार महोदय द्वारा स्थल निरीक्षण में की गयी है इसके बावजूद भी अपीलार्थी की अपील निरस्त करने में त्रुटि की है।

2. यह कि यहां यह उल्लेख करना उचित होगा कि पुरातन काल से जब से भारतवर्ष में रियासते विद्धमान थी तब से माईजी का मठ छत्रीपुल आश्रम स्थित है तथा विभिन्न देवी देवताओं का स्थान स्थित होकर मूर्तिया स्थापित है एवं वर्णित समाधियां भी बनी हुई है व गौशाला भी बनी हुई जो रियासत काल में आज पर्यन्त चली आ रही है। अपीलांट एवं उसके पूर्व महंत रियासत काल से एवं पुरातन काल से पूजा अर्चना एवं सनातन धर्म का प्रचार

...2

(170)

(208)

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक-निग.-387/2019/रतलाम/भू.रा.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
30-8-19	आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं। आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 05/10/2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 में नवीनतम संशोधन दिनांक 25/09/2018 से प्रभावशील है, संशोधन पश्चात मंडल को निगरानी में सुनवाई करने का क्षेत्राधिकार नहीं रहा है। अतः यह निगरानी अधिकार विहीन होने से अग्राहय की जाती है। आवेदक समक्ष न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है। **(महेश चन्द्र चौधरी)** **सदस्य**	